

3.12.2024

कील उन्मुक्त बाप। बहन के अर्द्ध  
पात्र पी रिया पात्र है। दिनांक 21.1.2025  
को पेश है।

सहायक कलेक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

21/1/2025

वकील उन्मुक्त बाप/एस.डी.एम. सा. दौर  
पर/दीगर कार्य/अन्काश पर है। पत्रावली वास्तु  
दिनांक 18/2/25 को पेश हो।

आज्ञा से रीडर

18.2.2025


कील उन्मुक्त बाप। बहन सखीना पत्र  
रूमी गई। संक्षिप्त में विवरण रत मकार है कि  
सखीना पत्र कीलत आराध्यात प्रार्थी की च्वातेभादी  
की आराध्यात है। अतः सखीना पत्रन आराध्यात  
में प्रवेश करने पर आगाह है। अतः अन्कार  
निषेधात् से परतनह रिया पात्र। अतः एकात्म  
न अवलोकन रिया कि गई बहन पर मनन रिया।  
अथवा हरिया मातला, सुविधा अनन्तन व अनुयायि-  
शते तर्की के पत्रन बनता है। अतः सखीना पत्र  
ज्वीकर रिया पात्र यह निगम रिया पाता है कि  
रूमी बाह 4/2023 के निगम तत्त मीन मरुमी  
पठ हठ करुमा। बहनील उन्मुक्त की मीन

सहायक कलेक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

FORM NO. III  
 फर्द अहकाम  
 नियम (26)

APP-A  
 CRM-I

अज अदालत ~~सहायक कलेक्टर उपखण्ड अधिकारी~~ मुकाम ~~रुपापन~~  
 नाम ~~नाम~~ वनाम ~~नाम~~  
 किस्म मुकदमा . 212 P.T. 11-17 नं. 19 सन 2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>3505 रचना 0.7। हेक्टर में उपखण्ड अधिकारी          पत्ररत एखतनापी कमी करे, उपमांग उपमांग          में किसी प्रकार कि जाया कमी पधुत्यावे          जेना इत्य मा स्वम करे ना किये मौकर          जेफट से कयने। यथाकली केल कृपार          टोकर कयने के क्य हो। माहमे दूमाया गया।</p> <p style="text-align: right;">             सहायक कलेक्टर            (उपखण्ड अधिकारी)            ककसन, जिला-वित्तोडगढ         </p>	